224/10
11/02/2014

(123)

संख्या– 323

प्रेषक

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 27 जनवरी, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 मे लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 31 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता गढ़0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु संलग्न ... विभिन्न 31 कार्यो के प्रारम्भिक आगणन, जिनकी कुल लम्बाई 145.20 किमी0 + 03 सेतु तथा लागत ₹ ... लाख है पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **1200.74 लाख** (₹ बारह करोड़ चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कालम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 31 कार्य हेतु ₹ 3.10 लाख (₹ तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को ... किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 ... 2010 के ... विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के ... विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराने ... करें।

(v)– आगणन मे जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में ... निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल ... के प्राविधानों का भी अनुपालन किया ... 2006 ...

(vii)– सुरक्षा ... उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV-... आगणन गठित करते समय ... निर्गत आदेशों ... जायेगा ... के सम्बन्ध ...

(viii) ... आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, ... जिला तथा ... –22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कें तथा सेतुओं पर पूंजीगत ... व्यय–05–सड़क/भवन, सेतु आदि हेतु भूमि ... सड़कें– ... निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया ... मे किया ...

क्रमशः

(ix)— स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31—03—2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में नियमानुसार में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो उसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013—14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0—22—लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—04 जिला तथा अन्य सड़कें —आयोजनागत —800—अन्य व्यय—03 राज्य सेक्टर—02 नया निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या— 704/XXVII/(2)/2013 दि0: 13 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः— (1)/III(2)/14—46(प्रा0आ0)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांक — 152/20 [illegible] दि० — 24.01.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

1. मुख्य अभि० स्तर-I/II, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी,
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible]ासनादेश संख्या:- 333 / III(2) / 14-46(प्रा0आ[illegible] / 2013 दिनांक 21 जनवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई [illegible] में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
	2	3	4	5.
1	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अदनी-क्यारी बैन्ड से डान्गुधार होते हुए पुजारगांव-दाबुआन बैन्ड तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	40.95	0.10
2	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के गैलाडी से अनोल तक मोटर मार्ग को मिलाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	29.25	0.10
3	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग के कि0मी0 2 पर मोटीगाड़ गदेरे से कोटीसौड होते हुए चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग में मिलाने हेतु वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	17.55	0.10
4	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मौक-महेड-कटखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से इन्दिरा टिपरी मोटर मार्ग के कि0मी0 01 तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य।	4.50	36.13 [₹ 26.33 + ₹ 9.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत नल्ली बधाण गांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	62.42 [₹ 58.50 + ₹ 3.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
[illegible]	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनगांव चापड़ा कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	9.00	68.33 [₹ 52.65 + ₹ 15.68 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
[illegible]	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा-बनगांव मोटर मार्ग से रिखाणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.50	32.24 [₹ 20.48 + ₹ 11.76 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत भडकोट रौंतल पुजारगांव हल्का वाहन मोटर मार्ग मोटर मार्ग में [illegible] मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य।	6.00	21.79 [₹ 8.70 + ₹ 13.09 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
[illegible]	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत धरासू-[illegible] मोटर मार्ग के तुल्याड़ा से मंजकोट तक मोटर मार्ग [illegible] नव निर्माण कार्य।	3.50	24.40 [₹ 20.48 + ₹ 3.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
10	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास [illegible] चिन्यालीसौड़ के [illegible] बनचौ[illegible] [illegible]गाड मोटर मार्ग के कि[illegible] 37 से [illegible] [illegible]	3.00	21.47 [₹ 17.55 + ₹ 3.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली [illegible] जाने वाले कार्य)	0.10
11	जनपद [illegible] के विधान सभा [illegible] विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत [illegible] [illegible]गांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2.00	18.56 [₹ 11.70 + ₹ 6.66 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

शासनादेश संख्या:– 333 / II(2)/ [illegible]–46(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21 जनवरी 20[illegible]

	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत धरासू–नालूपानी के वैकल्पिक मार्ग हेतु चमियारी मोटर मार्ग के [illegible] बैण्ड से नालूपानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (60 मी0 स्पान सेतु सहित)।	4.00 + 01	73.14 [₹ 27.60 + ₹ 45.54 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	[illegible]
3	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत [illegible] से गडवालगाड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10.00	95.74 [₹ 58.50 + ₹ 37.24 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	[illegible]
4	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव महेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	15.23 [₹ 11.70 + ₹ 3.53 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
1[illegible]	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–373/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकासखण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत कुनीगाड़ हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार (रामपुर कुनीगाड़ मोटर मार्ग का विस्तार) का कार्य।	2.00	18.90 [₹ 11.70 + ₹ 7.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
1[illegible]	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख–चापड़–हिड़ाम मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से ग्राम बरोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	27.63 [₹ 17.55 + ₹ 10.08 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
17	जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में मींग बैनोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	40.95	0.10
18	जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में कुलसारी–नैल–ढालू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	48.60	0.10
19	जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत ग्राम मसीत से धीमरखेड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.20	4.18	0.10
20	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत सतपुली–चमोलीसैंण–पाटली–कोटली–नैणी मोटर मार्ग से ग्राम–सीला मल्ल व खण्डोखाली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण।	2.00	15.28 [₹ 11.70 + ₹ 3.58 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
21	जनपद अल्मोड़ा के [illegible] अन्तर्गत मैनी [illegible] ग्राम बजेल–[illegible] मार्ग का पुल [illegible]	8.00 + 24mt	[illegible]	[illegible]
22	जनपद अल्मोड़ा [illegible] अन्तर्गत [illegible] तड़कोट –[illegible]	7.00 + 24 mt	[illegible]	[illegible]
23	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत [illegible] मोटर [illegible]	4.00		

[illegible] कूरे–बयाला–स्वा[illegible] मार्ग का नव निर्माण का कार्य।

(हस्ताक्षर)

शासनादेश संख्या:- 333 / III(2) / 14-46(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 21 जनवरी, 2014 का संलग्नक

25	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत पोखरी–गोपेश्वर मोटर मार्ग से ग्राम घुडसाल, रिखोली तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	26.60 (₹ 8.78 - ₹ 17.82 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
26	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत रानों–क्वींठी मोटर मार्ग से तोली–गेलूंग तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2.50	22.73 (₹ 14.63 + ₹ 8.10 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
27	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत गोपेश्वर–मण्डल मोटर मार्ग से ग्राम ग्वाड़ मोटर मार्ग 2.50 किमी0 लम्बाई में निर्माण।	2.50	44.33 (₹ 14.63 + ₹ 29.70 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
28	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से ग्राम लांसी तक मोटर मार्ग निर्माण।	2.00	35.46 (₹ 11.70 + ₹ 23.76 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
29	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत तपोवन–रींगी–भविष्यबद्री मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से ग्राम सुभाई तक 5.00 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	78.75 (₹ 29.25 + ₹ 49.50 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
30	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत बछेर–रोपा मोटर मार्ग से रोपा तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	17.73 (₹ 5.85 + ₹ 11.88 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
31	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्सू के अन्तर्गत ग्राम कोटा से देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	4.00	37.08 (₹ 23.40 + ₹ 13.68 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	योग:-	145.20 + 03	1200.74	3.10

(कुल ₹ तीन लाख दस हजार मात्र)

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

(महिमा)
अनु सचिव